छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर

www.cghb.gov.in

!! आदेश !!

क्रमांक.....12...../2018 दिनांक 25/06/2018

विषयः- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटियों को बकाया राशि जमा करने पर विलंबित अवधि दण्ड ब्याज में छूट देने बाबत्।

--- 000 ---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के संपदा अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि, भाड़ाक्रय योजना के हितग्राहियों से बकाया राशि वूसली में तिव्रता लाने एवं मण्डल की निधि तरलता सुधार करने हेतु भवनों के विरूद्ध बकायादारों को दाण्डिक ब्याज में 100 प्रतिशत छूट देने पर मण्डल की अवरूद्ध राशि शीघ्र प्राप्त होगी।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की 56वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 30.05.2018 के पद संख्या 37 संकल्प कमांक 1663/37/56/05/2018 पर संचालक मण्डल द्वारा विचारोपंरात सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल के एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के भाड़ाक्रय बकायादारों को संपूर्ण बकाया राशि दिनांक 31.08.2018 तक एकमुश्त (One Time Settlement) जमा करने पर दण्ड ब्याज में पूर्ण छूट प्रदान करते हुए आगामी आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत करता है।

(आदेशानुसार)

25.06.18

मुख्य संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

पृ.क्र.1520 /सं.प्र.शा./मु.सं.अ./मुख्या/फा.नं.-290 /18 नया रायपुर, दिनांक25/06/2018

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
4. अपर आयुक्त, कमांक 01(J)/ 02(V)/ 03(P) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।

कमशः-02